भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 730

दिनांक 26 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए

महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी केंद्र

730. श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:
श्री संजय दीना पाटिल:
श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते-पाटील:
श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:
प्रोफ. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी केंद्रों और उनमें नामांकित बच्चों की वर्ष-वार और जिला-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या महाराष्ट्र में कई आंगनवाड़ी केंद्रों की इमारतें खराब स्थिति में हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनकी अवसरंचना सुविधा में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं;

(ग) क्या सरकार मूल्य वृद्धि और उन्हें दिए जाने वाले कम वेतन को देखते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के पारिश्रमिक में वृद्धि करने का विचार रखती है, यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने आंगनवाड़ी केंद्रों में पक्के भवन, पेयजल और शौचालय सुविधाएं उपलब्ध हैं और उन आंगनवाड़ी केंद्रों की जिला-वार संख्या जिनके भवन नहीं हैं;

(ड.) आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को दिए जा रहे भोजन की मात्रा और गुणवत्ता का ब्यौरा क्या है और उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन उपलबध कराने के लिए महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) नए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना के लिए क्या मानदंड हैं और इन केंद्रों के निर्माण पर होने वाले व्यय में केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना-कितना है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) : महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों और उनमें नामांकित बच्चों की वर्ष-वार और जिला-वार संख्या **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

(ख) : आंगनवाड़ी केंद्रों के अवसंरचना में सुधार के लिए, मनरेगा के साथ अभिसरण में नए आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए प्रति आंगनवाड़ी केंद्र हेतु 12 लाख रुपये का प्रावधान है जिसमें से मंत्रालय निर्धारित लागत साझेदारी आधार पर प्रति आंगनवाड़ी केंद्र को 2 लाख रुपये प्रदान करता है। इसके अलावा, पीएम-जनमन के तहत, मंत्रालय 100% लागत हिस्सेदारी पर पीवीटीजी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए प्रति आंगनवाड़ी केंद्र को 12 लाख रुपये प्रदान करता है। पीएम-जनमन के तहत, महाराष्ट्र में वर्ष 2023-24 के दौरान पीवीटीजी बस्तियों में निर्माण के लिए 68 आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं और 816 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।

15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान, बेहतर पोषण प्रदायगी तथा बाल्यावस्था पूर्व देखरेख एवं शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्र की दर से 2 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नयन किया जाना है। सक्षम आंगनवाड़ियों को पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्रों की तुलना में बेहतर बुनियादी अवसंरचना प्रदान किया जाना है जिसमें भारत नेट के माध्यम से इंटरनेट/वाई-फाई कनेक्टिविटी (जहां संभव हो), एलईडी

स्क्रीन, जल शोधक/आरओ मशीन की स्थापना, पोषण वाटिका, ईसीसीई पुस्तकें और शिक्षण सामग्री आदि शामिल हैं। महाराष्ट्र के लिए वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 में सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नयन के लिए क्रमशः कुल 1150 और 589 आंगनवाड़ी केंद्र अनुमोदित किए गए थे जिनके लिए कुल 873.87 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

शौचालय के निर्माण के लिए अनुमोदित इकाई लागत 36000/- रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र है और पेयजल प्रावधान के लिए अनुमोदित लागत 17000/- रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र है जिसे लागत भागीदारी अनुपात के अनुसार केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वहन किया जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान महाराष्ट्र राज्य को पेयजल सुविधाओं और शौचालयों के निर्माण के लिए 1782.24 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी।

(**ग**): आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियाँ और आंगनवाड़ी सहायिकाएं स्थानीय समुदाय की "अवैतनिक कार्यकर्त्रियाँ" हैं जो समुदाय की सहायता के लिए बाल देखरेख एवं विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वेच्छा से आगे आती हैं जिसके लिए आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रतिमाह 250/- रुपये तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रतिमाह 500/- रुपये के निष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन के साथ राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य लागत साझेदारी के आधार पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रतिमाह 4,500/- रुपये तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रतिमाह 2,250/- रुपये की दर से मानदेय दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने स्वयं के संसाधनों से इन कार्यकर्त्रियों को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/मानदेय का भी भुगतान कर रहे हैं जो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं।

इसके अलावा, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, महाराष्ट्र सहित पूरे देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि की गई है। अन्य मानदंडों को पूरा करने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के 50% पदों को कम से कम 5 वर्ष के अनुभव वाली आंगनवाड़ी सहायिकाओं से तथा पर्यवेक्षकों के 50% पदों को कम से कम 5 वर्ष के अनुभव वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की प्रोन्नति से भरा जाना हैं।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग में 2.00 लाख रुपये (जिसमें जीवन का जोखिम, किसी भी कारण से मृत्यु शामिल है) के जीवन बीमा का लाभ प्रदान

किया गया है। इसी प्रकार, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 18-59 वर्ष के आयु वर्ग में 2.00 लाख रुपये (दुर्घटना से मृत्यु एवं स्थायी पूर्ण अपंगता)/1.00/- रुपये (आंशिक किन्तु स्थायी विकलांगता) के दुर्घटना के लिए कवरेज प्रदान किया जाता है ।

अंतरिम बजट वित्त वर्ष 2024-25 में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य सेवा वार्षिक कवरेज का विस्तार करने की घोषणा की गई है।

(घ): महाराष्ट्र सहित आंगनवाड़ी केंद्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या तथा उनमें उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ड.): इस योजना के अंतर्गत सभी पंजीकृत लाभार्थियों को निर्धारित पोषण मानकों के अनुसार एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 300 दिनों के लिए पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। आंगनवाड़ी सेवाओं के अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं (पीडब्लू एवं एलएम), 6-36 माह की आयु वर्ग के बच्चों, गंभीर तीव्र कुपोषित बच्चों (एसएएम) तथा 14-18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियां (जहां लागू हो) को टेक होम राशन (टीएचआर) प्राप्त करने का अधिकार है तथा 3-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को आंगनवाड़ी सेवाओं के अंतर्गत जहां वे पंजीकृत हैं, वहां से पका हुआ गर्म भोजन एवं सुबह का नाश्ता प्राप्त करने का अधिकार है।

गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम (डब्ल्यूबीएनपी) के अंतर्गत 6 माह से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन प्रति लाभार्थी को 100 ग्राम और गंभीर तीव्र कुपोषित (एसएएम) बच्चों को प्रतिदिन प्रति लाभार्थी 140 ग्राम की मात्रा प्रदान की जाती है।

मंत्रालय ने गुणवत्ता आश्वासन, ड्यूटी धारकों की भूमिका और जिम्मेदारियों, खरीद की प्रक्रिया, आयुष अवधारणाओं को एकीकृत करने और पूरक पोषण के वितरण में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही के लिए 'पोषण ट्रैकर' के माध्यम से डेटा प्रबंधन और निगरानी पर दिनांक 13.01.2021 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट पोषण स्थिति और गुणवत्ता मानकों की निगरानी के लिए जिले में नोडल प्वाइंट होंगे। जिलाधीश/कलेक्टर जिला पोषण समिति की गतिविधियों की अध्यक्षता, पर्यवेक्षण और निगरानी करते हैं। बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) औचक स्पॉट-जांच और पूरक पोषण (टीएचआर और एचसीएम) की गुणवता की जांच के लिए नमूने लेने सहित आवधिक निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि आपूर्ति श्रृंखला में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के लिए पर्याप्त उपायों का पालन किया जाए और आवश्यक सुधार किया जाए।

(च) : नए आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना हेतु जनसंख्या मानक इस प्रकार हैं -

आंगनवाडी केंद्र	**जनसंख्या**	**आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या**
ग्रामीण/शहरी परियोजनाओं के लिए	400-800 800-1600 1600-2400 इसके बाद 800 के गुणक में	1 एडब्ल्यूसी 2 एडब्ल्यूसी 3 एडब्ल्यूसी 1 एडब्ल्यूसी
जनजातीय/नदी-तटीय/रेगिस्तान, पर्वतीय अन्य दुर्गम क्षेत्रों/परियोजनाओं के लिए	300-800	1 एडब्ल्यूसी
पीएम-जनमन के लिए	लगभग 100	1 एडब्ल्यूसी

मनरेगा के साथ अभिसरण में आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र निधि 12 लाख रुपये हैं जिसमें मनरेगा के अंतर्गत 8.00 लाख रुपये 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 2.00 लाख रुपये (अथवा किसी अन्य संयुक्त निधि से) तथा मंत्रालय द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मध्य निर्धारित लागत भागीदारी अनुपात में प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र और 2.00 लाख रु की राशि वहन की जाएगी।इसे केन्द्र और राज्य सरकार के बीच नीचे दिए गए अनुपात में बांटा जाता है :

राज्यों के प्रकार	**आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए लागत भागीदारी अनुपात**
विधानमंडल वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	60:40
पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जम्मू-कश्मीर सहित)	90:10
बिना विधानमंडल वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	100:0

पीएम-जनमन के अंतर्गत, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच लागत भागीदारी अनुपात 100:0 है।

*****

अनुलग्नक-I

'महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी केंद्र' पर 26.07.2024 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 730 के उत्तर के भाग (क) का अनुलग्नक

	2022(जून 2022 तक)			2023 (जून 2023 तक)			2024 (जून 2024 तक)		
क्र.सं.	जिला	प्रचालित आंगनवाड़ी केंद्र	बच्चों की संख्या (0-6 वर्ष)	जिला	प्रचालित आंगनवाड़ी केंद्र	बच्चों की संख्या (0-6 वर्ष)	ज़िला	प्रचालित आंगनवाड़ी केंद्र	बच्चों की संख्या (0-6 वर्ष)
1	अहमदनगर	5903	310308	अहमदनगर	5904	322339	अहमदनगर	5905	305222
2	अकोला	1621	94243	अकोला	1631	103832	अकोला	1564	91076
3	अमरावती	3189	191287	अमरावती	3189	190783	अमरावती	3189	179786
4	औरंगाबाद	3809	246836	औरंगाबाद	3839	261534	बीड	3273	189362
5	बीड	3264	181581	बीड	3274	199003	भंडारा	1417	73100
6	भंडारा	1417	73302	भंडारा	1417	74783	बुलढाणा	2971	178931
7	बुलढाणा	2970	180125	बुलढाणा	2971	186510	चंद्रपुर	2962	119289
8	चंद्रपुर	2941	118239	चंद्रपुर	2962	127068	छत्रपति संभाजीनगर	3839	244453
9	धुले	2305	179832	धुले	2306	198048	धाराशिव	2049	109013
10	गडचिरोली	2376	82006	गडचिरोली	2378	93023	धुले	2328	189532
11	गोंदिया	1902	89851	गोंदिया	1902	102271	गडचिरोली	2386	86818
12	हिंगोली	1193	86374	हिंगोली	1196	94422	गोंदिया	1902	97101
13	जलगांव	3943	306262	जलगांव	3944	307772	हिंगोली	1197	89193
14	जलना	2135	163865	जलना	2185	158183	जलगांव	3944	288958
15	कोल्हापुर	4375	219381	कोल्हापुर	4418	215526	जलना	2190	148924
16	लातूर	2583	149212	लातूर	2589	152605	कोल्हापुर	4422	203336
17	मुंबई शहर	927	64992	मुंबई शहर	927	66453	लातूर	2593	148683

18	मुंबई उपनगर	4220	314198	मुंबई उपनगर	4220	330065	मुंबई शहर	926	64790
19	नागपुर	3405	172513	नागपुर	3406	203989	मुंबई उपनगर	4221	314489
20	नांदेड़	4162	225523	नांदेड़	4166	259173	नागपुर	3404	207687
21	नंदुरबार	2440	153842	नंदुरबार	2570	175606	नांदेड़	4165	252793
22	नासिक	5703	377252	नासिक	5704	407671	नंदुरबार	2563	162302
23	उस्मानाबाद	2016	113131	उस्मानाबाद	2034	117869	नासिक	5699	392476
24	पालघर	3183	194650	पालघर	3183	188305	पालघर	3352	189117
25	परभनी	1837	109333	परभनी	1841	116324	परभनी	1844	110869
26	पुणे	6037	396883	पुणे	6084	415016	पुणे	6091	395821
27	रायगढ़	3259	137789	रायगढ़	3262	136859	रायगढ़	3389	141179
28	रत्नागिरि	2972	74301	रत्नागिरि	2972	69800	रत्नागिरि	2970	61811
29	सांगली	3105	150632	सांगली	3108	168596	सांगली	3107	158087
30	सतारा	4921	171735	सतारा	4924	160884	सतारा	4926	146152
31	सिंधुदुर्ग	1591	32027	सिंधुदुर्ग	1592	30949	सिंधुदुर्ग	1539	26246
32	सोलापुर	4730	298019	सोलापुर	4735	294755	सोलापुर	4735	274393
33	थाणे	3717	271938	थाइन	3749	279082	थाइन	3541	249055
34	वर्धा	1625	73942	वर्धा	1625	75148	वर्धा	1627	70792
35	वाशिम	1195	89745	वाशिम	1196	91701	वाशिम	1266	91542
36	यवतमाल	3022	185064	यवतमाल	3026	193119	यवतमाल	3029	187575
	कुल	109993	6280213	**कुल**	110429	6569066	**कुल**	110525	6239953

पोषण ट्रैकर के अनुसार डेटा

अनुलग्नक-II

'महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी केंद्र' पर 26.07.2024 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 730 के उत्तर के भाग (घ) का अनुलग्नक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या और उपलब्ध सुविधाएं *				
क्र.सं	राज्य	सरकारी स्वामित्व वाली इमारत/पंचायत भवन/ सामुदायिक भवन/स्कूलों आदि में स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या	पेयजल सुविधा वाले आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या	शौचालय सुविधा वाले आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	55607	684	702
2	आंध्र प्रदेश	115009	34496	40281
3	अरूणाचल	52066	2396	2134
4	असम	1261	30007	20052
5	बिहार	53029	102242	96251
6	चंडीगढ़	25962	450	450
7	छत्तीसगढ़	18925	42100	39854
8	दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव	28426	405	405
9	दिल्ली	38432		
10	गोवा	65931	1261	1261
11	गुजरात	33115		52118
12	हरियाणा	97329	25490	23792
13	हिमाचल प्रदेश	110446	18892	18912
14	जम्मू एवं कश्मीर	74154	27967	27814
15	झारखंड	27314	23000	20860
16	कर्नाटक	61885	59833	63831
17	केरल	54439	33115	33073
18	लद्दाख	35700	1143	1108
19	लक्षद्वीप	189021	59	59
20	मध्य प्रदेश	20062	97329	81683
21	महाराष्ट्र	119481	92973	81406
22	मणिपुर	720		0
23	मेघालय	450	2183	3775
24	मिजोरम	405	1611	2039
25	नागालैंड	59	2280	1795
26	ओडिशा	10897	32109	34236
27	पुदुचेरी	855	855	855

28	पंजाब	6225	27314	25152
29	राजस्थान	62093	39951	40179
30	सिक्किम	11510	1308	1308
31	तमिलनाडु	5896	36955	42762
32	तेलंगाना	2244	33463	18767
33	त्रिपुरा	3980	8292	8084
34	उत्तर प्रदेश	1308	74621	85340
35	उत्तराखंड	10145	16996	16754
36	पश्चिम बंगाल	1149	93857	83716
	कुल	**1395530**	**965637**	**970808**

*एपीआईपी 2024-25 के अनुसार